

अति-आवश्यक

**कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर**

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./यास 7819/6

दिनांक:-21/6/12

प्रेषक:

हर सहाय मीणा IAS  
निदेशक

प्रेषिती:

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा**विषय:- शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाये जाने बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधानसभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जावेगा। मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र संख्या एफ. 21(19)शिक्षा/गुप-1/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जावे तथा इस बाबत पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवावे कि जिले में कोई भी शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगा हुआ है। ताकि माननीय उच्च न्यायालय को पालना रिपोर्ट से अवगत करवाया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

हं  
निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा .....
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग/शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा।

निदेशक  
21.6.12